

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत भवशे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वाक स्वीकृती केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

नगरपालिका नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 455 दिनांक 17/01/2020

जी+1

आवासीय

श्री राम किशोर चौधरी डा. श्री गोपाल शर्मा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पंज

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12676/- जमा

जरिये रसीद संख्या 1628/9800, 9801

दिनांक 17/01/2020 को जमा करा दी है ।

पं. नं. - स्वी-3/ए व बी-5 ब्लॉक

रेंजि 203-205-212/151

17/1/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

M/S